न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा ﴾म0प्र0﴿

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

निगरानी 2207-II-15

1- श्रीमती ललिता देवी पत्नी बाबूराम द्विवेदी

2- बाबूराम पिता स्व0 श्री ईश्वरीप्रसाद ब्रा0 ग्रा0 मढ़ीकला, तहसील-नागौद, जिला-सतना ﴾म0प्र0﴿ ---------------- आवेदकगण

204
17-6-15

विरुद्ध

1- रामकुमार तनय ईश्वरी प्रसाद ब्रा0

2- राजेश पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद

दोनों निवासी ग्राम मढ़ीकला, तहसील-नागौद, जिला-सतना ﴾म0प्र0﴿ ---------------- अनावेदकगण

श्री... मंगलप्रसाद शुक्ला एड
द्वारा आज दिनांक 17-6-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवां

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-नागौद, जिला-सतना के प्रकरण क्रमांक - 16/अपील/2011-2012 निर्णय दिनांक- 11/6/2015. अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959ई.

क्रमांक 5862
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक........ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी आवेदन-पत्र के आधार निम्न हैं:-

﴾01﴿ यह कि स्व0 ईश्वरी प्रसाद के तीन पुत्र थे जिनका बटनवारा हो चुका है, और वे बटनवारे के अनुसार अपनी-अपनी भूमियों में मालिक काबिज व भूमि स्वामी हो चुके हैं। स्व0 ईश्वरी प्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि को वृद्धावस्था में सेवा करनेवाली अपनी पुत्रवधू श्रीमती ललिता देवी के पक्ष में दिनांक 11/9/75 को एक वसीयतनामा लिखकर अपनी हिस्से में प्राप्त भूमियों का वसीयतनामा कर दिया था। फिर ईश्वरी प्रसाद की मृत्यु वर्ष 2003 ई. में हो गयी फलस्वरूप

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2207/II/15 जिला सतना

सोलिता रामसुन्दर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15	आवेदक अभि० श्री मंगल प्रसाद शुक्ला उपस्थित आवेदक अभि० को प्रकरण मे ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण मे मुख्य विवाद वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती सोलितादेवी के पक्ष मे हुए नामांतरण से संबंधित है। उक्त संबंध मे आवेदक अभि० द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो बिन्दु निगरानी मेमो मे अंकित है। जिनके आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि प्रकरण में गवाही निरस्त की जावे तथा गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश दिए जावे। प्रकरण मे आवेदक अभि० के तर्कों के क्रम मे अधी० न्यायालय के आदेश दिनांक 11.6.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें अनावेदक (जो इस निगरानी मे आवेदक है) को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये है, साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति मे साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा। प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी पक्ष के हित प्रभावित हुए हो या होने की कोई सम्भावना हो अभी प्रकरण अधीनस्थ	

[कृ. प. उ.

फिर ईश्वरी प्रसाद की मृत्यु वर्ष 2003 ई. में हो गयी [illegible]

Fog

ललिता देवी बनाम रामचन्द्र वगैरह
R. 2207-है/15-सतना

स्थान तथा दिनांक	ललिता / कार्यवाही तथा आदेश / रामचन्द्र	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय में विधिवत प्रक्रियाधीन है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०वा०रि० हो। सदस्य	